न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 104/2020

छोटेलाल पुत्र गुरूदयाल, जातिजाट, निवासी मनोहरपुरा, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं।
– – प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) झुंझुनूं।
– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत शस्त्र अनुज्ञा पत्र पत्र सं0 668/1984 जो कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जलपाईगुडी द्वारा जारी किया गया है को बहाल कर झुंझुनूं जिले मे दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.10.2021

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां दर्ज अपील सं0 447/16 उनवानी छोटेलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं मे पारित आदेश दिनांक 22.01.2019 की अनुपालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर अपने पक्ष में साक्ष्य एवं सबूत पेश करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश पूनियां उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप सार इस प्रकार है कि प्रार्थी छोटेलाल ने दिनांक 30.03.2016 को अपने नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 668/1984 जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुडी द्वारा जारी किया हुआ है जिसमे एक 12 बोर एसबीबीएल गन नं0 1338 दर्ज है तथा अनुज्ञापत्र धारी द्वारा उक्त अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र व चार जिन्दा कारतूस रिलीज किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु उक्त लाईसेन्स जिले द्वारा जारी किया हुआ न होने व इस जिले मे पंजीकृत न होने के कारण व मूल लाईसेन्स प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रार्थी के नाम उक्त शस्त्र लाईसेन्स को आदेश क्रमांक 16(59)न्याय/शस्त्र/2011/59 दिनांक 08.06.2016 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था जिसके विरूद्व प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे अपील सं0 447/16 उनवानी छोटेलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं पेश की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2019 में न्यायालय जिला

कलक्टर झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 को निरस्त कर न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं, उप वन सरंक्षक झुंझुनूं, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना व अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर जोन सी0आई0डी0 जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना व अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर जोन सी0आई0डी0 ने प्रार्थी को हथियार लाईसेन्स दिया जाना उचित नही बताया है।

प्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी छोटेलाल के हक में शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 668/1984 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जलपाईगुडी द्वारा जारी किया गया है। जिसमे एक 12 बोर एसबीबीएल गन सं0 1338 दर्ज है। प्रार्थी सेवानिवृत्त आर्मी कर्मचारी है जिसके लाईसेन्स नम्बर 14460065 जीएलआर (जीडी) जलपाईगुडी से जारी हुआ है। उक्त गन को प्रार्थी ने देहरी गन हाउस से जरिये बिल नम्बर 4350 दिनांक 02.07.1984 को 1810 रूपये में क्रय की है जिसका लाईसेन्स दिनांक 31.12.2017 तक वैध था। आपराधिक प्रकरण संख्या 28/1985 उनवानी सरकार बनाम छोटेलाल अ0धारा 336 आईपीसी में प्रार्थी दिनांक 17.03.1989 को (जे0एम0) न्यायालय झुंझुनूं ने प्रार्थी को दोषमुक्त कर दिया। मु0 नम्बर 28/1985 के प्रकरण में प्रार्थी की लाईसेन्स शुदा उक्त 12 बोर बन्दूक व 4 जिन्दा कारतूस व 2 कारतूस चले हुए जप्त किये थे। प्रार्थी सेवानिवृत व्यक्ति है तथा कानून को मानने वाला व्यक्ति है जिसका आचरण अच्छा रहा है। प्रार्थी पर कोई आपाधिक प्रकरण दर्ज नही है तथा प्रार्थी के विरूद्व कोई किसी व्यक्ति से शिकायत नही है। आर्मी व्यक्ति को हथियार लाईसेन्स भारत में कहीं से जारी किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का हथियार लाईसेन्स बहाल किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान जबाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा कथन किया कि आपराधिक प्रकरण संख्या 28/1985 उनवानी सरकार बनाम छोटेलाल अ0धारा 336 आईपीसी में प्रार्थी दिनांक 17.03.1989 को (जे0एम0) न्यायालय झुंझुनूं ने प्रार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है। प्रार्थी सेवानिवृत व्यक्ति है तथा कानून को मानने वाला व्यक्ति है जिसका आचरण अच्छा रहा है। प्रार्थी पर कोई आपाधिक प्रकरण दर्ज नही है तथा प्रार्थी के विरूद्व कोई किसी व्यक्ति से शिकायत नही है। आर्मी व्यक्ति को हथियार लाईसेन्स भारत में कहीं से जारी किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना व अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर जोन सी0आई0डी0 ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी को हथियार लाईसेन्स दिया जाना उचित नही बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रार्थी का शस्त्र लाईसेंस कार्यालय हाजा के आदेश कमांक 16(59)न्याय/शस्त्र/2011/59 दिनांक 08.06.2016 द्वारा निरस्त किया गया था। जिसकें संबंध में न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 22.01.2019 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 08.06.2016 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सनुवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 336 के तहत चल रहे अपराधिक प्रकरण संख्या 28/1985 में दिनांक 17.03.1989 को दोषमुक्त कर दिया है तथा प्रार्थी सेवानिवृत व्यक्ति है जिस पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
2. प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2021 में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(विशा) जोन जयपुर ग्रामीण द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2021 में प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं माना है। इसी के साथ उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बुहाना द्वारा अपनी – अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध 5 अभियोग पंजीबद्व होना बताया है जो निम्नप्रकार है : 1 अभियोग संख्या 93/2013 धारा 68/14 आबकारी अधि.थाना लुहारू हरियाणा 2. अभियोग संख्या 78/1989 धारा 447, 323, 354 भादस बुहाना 3. अभियोग संख्या 28/85 धारा 451, 427, 504 भादस बुहाना 4. अभियोग संख्या 45/84 धारा 307, 336 भादस बुहाना 5. अभियोग संख्या 09/82 धारा 433, 427 भादस बुहाना दर्ज है तथा प्रार्थी को बदमाश प्रवृति का व्यक्ति होना बताया है। प्रार्थी का यह कथन की उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, गलत है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे शस्त्र अनुज्ञापत्र की बाबत चाही गई रिपोर्ट में सभी जांच अधिकारी प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने का विरोध कर रहे है तथा प्रार्थी को आपराधिक प्रवृति का मान रहे है। ऐसे में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।
3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति मूल रिकार्ड सहित न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं